

<b>प्रश्न</b>	<b>आईटीआर -4 सुगम</b>	<b>भारतीय आय-कर विवरणी</b>	<b>निर्धारण वर्ष</b>					
		<p>ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी से भिन्न), के लिए, जो निवासी हैं, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारबार और वृत्ति से आय है, जो धारा 44कघ, धारा 44कघक या धारा 44कड के अधीन संगणित हैं, और जिसको धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हैं।</p> <p>ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध सामान्य शेरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है या जिसकी 5000 रुपये से अधिक कृषि आय है या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं) है</p> <p style="text-align: center;">(पात्रता के लिए निर्देश देखें)</p>	2	0	2	5	-	2

भाग क साधारण जानकारी																	
(क1) प्रथम नाम				(क2) मध्य नाम				(क3) अंतिम नाम				(क4) स्थायी खाता संख्या					
(क5) जन्म तारीख/ गठन (ता./माह/वर्ष)														(क6) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं..			
(क7) परिसर/भवन/गांव का नाम							(क8) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस				(क9) क्षेत्र/स्थानीयता						
(क10) शहर/शहर/जिला						(क11) राज्य			(क12) देश			(क13) पिन कोड/ज़िप कोड					
												(क15) प्रास्थिति					
(क14) आधार नंबर (12 अंक)												व्यष्टि <input type="checkbox"/> एचयूएफ <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी के अलावा) <input type="checkbox"/>					
(क16) एसटीडी कोड/मोबाइल नंबर 1 के साथ आवासीय/कार्यालय फोन नंबर							(क17) मोबाइल नंबर 2				(क18) ईमेल पता -1 (स्वयं)						
											(क18) ईमेल पता -2						
(क19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सीजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-एसजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-पीएसयू <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)																	
(क20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक) [कृपया निर्देश देखें]							<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात, <input type="checkbox"/> 139(5)- संशोधित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात										

(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग
(क21) यदि पुनरीक्षित/दोषपूर्ण है तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष) दर्ज करें।	/ /
(क22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।	/ /
<p>(क23) क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115खकग(6) के अधीन प्ररूप 10-1डक में नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग किया है?</p> <p>(क) <input type="checkbox"/> हां (यदि 'हां', तो कृपया निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्ररूप 10-1डक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहना जारी रखना चाहते हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'नहीं' तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें)</p> <p>(ख) <input type="checkbox"/> नहीं (कृपया नहीं चुनें, भले ही प्ररूप 10-1डक को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया हो) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें)</p> <p>(ग) <input type="checkbox"/> लागू नहीं (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर. प्ररूप 1/ प्ररूप 2 में दाखिल किया गया था) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें)</p> <p>टिप्पण- धारा 115खकग(6) के तहत विकल्प प्ररूप 10-1डक में धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।</p>	
<p>(क24) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें</p> <p>[टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]</p>	
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(ए25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जा रही है ? (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-	
(1) प्रतिनिधि का नाम	

(2)	प्रतिनिधि की हैसियत
(3)	प्रतिनिधि का पता
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर

भाग ख सकल कुल आय			केवल पूरे - रुपया (₹)	
ख1	व्यवसाय और पेशे से आय ( टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)		ख1	
ख2	i सकल वेतन (iक+iख+iग+iघ+iङ)_		i	
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक		
	ख धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख		
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग		
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ		
	ङ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ		
	ii धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है।]		ii	
	iiiअ घटाएँ: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		iiiअ	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)		iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)		iv	
	क धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती	ivक		
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
	ग धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	ivग		
	v 'वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii - iv) ( टिप्पण - "अनुसूची टीडीएस1" भरना सुनिश्चित करें)		ख2	
ख3	लागू विकल्प पर टिक करें स्वतः कब्जा <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझा गया जाए <input type="checkbox"/>			
गृह संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य		i	
	ii स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किया गया कर	ii		
	iii वार्षिक मूल्य (i - ii)		iii	
	iv वार्षिक मूल्य का 30%	iv		
	v उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	v		
	vi वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	vi		

	vii	गृह संपत्ति' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख 3	
ख4		आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- टिप्पण - यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।	ख4	
		कम: धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
		कम: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
ख5		सकल कुल आय ( ख1 + ख2 + ख3 + ख4) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख5	

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों को देखें)

ग1	80ग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग2	80गगग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग3	80गगघ (1)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग4	80गगघ (1ख)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग5	80गगघ (2)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग6	80घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग8	80घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग9	80ङ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग10	80ङङ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग11	80ङङक	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग12	80ङङख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग14	80छछ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग15	80छछग (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)

							जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)		
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)								ग19
ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19 )								ग20

## भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1
घ2	87क पर छूट	घ2
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ3 का 4%]	घ4
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7
घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ12
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13
घ14	कुल स्व- निर्धारण कर का संदाय	घ14
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19

घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए छूटप्राप्त आय (यदि कृषि आय 5,000/- रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20	
घ21	आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है : धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है		
	i. कुल विक्रय प्रतिफल		
	ii. अर्जन की कुल लागत		
	iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		

खाता क्र.सं.	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
ii						

1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय धारित सभी बैंक खातों की रिपोर्ट करनी होगी ।  
2. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए ।  
3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा ।

अनुसूची बीपी - कारबार या वृत्ति से आय का विवरण				
धारा 44कघ के अधीन उपधारित कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि [ड1ख + ड1ग], ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।			
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड1क
	ख	नकद में प्राप्तियां		ड1ख
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति		ड1ग
ड2	धारा 44कघ के अधीन उपधारित आय			
	क	ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,		ड2क
	ख	(ड1ख + ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।		ड2ख
	ग	कुल (क + ख)		ड2ग
	टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।			

धारा 44कघक के अधीन कारबार से उपधारित आय की संगणना					
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:	
(i)					
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु.तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख + ड3ग ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।		ड3		
क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड3क		
ख	नकद में प्राप्तियां		ड3ख		
ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति		ड3ग		
ड4	धारा 44कघक के अधीन उपधारित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।		ड4		
धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से उपधारित आय की संगणना					
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:	
(i)					
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/ पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल ढुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारिती द्वारा किराए पर लिया गया था	माल ढुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल ढुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।		ड5		
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है		ड6		
ड7	44कड के अधीन उपधारित आय (ड5-ड6)		ड7		
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय		ड8		

जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्त के बारे में जानकारी			
टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।			
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).	ड9	
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य	ड10	
कारबार का वित्तीय विवरण			
टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।			
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी	ड11	
ड12	सुरक्षित ऋण	ड12	
ड13	असुरक्षित ऋण	ड13	
ड14	अग्रिम	ड14	
ड15	विविध लेनदार	ड15	
ड16	अन्य दायित्व	ड16	
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)	ड17	
ड18	अचल संपत्तियां	ड18	
ड19	सूची	ड19	
ड20	विविध देनदार	ड20	
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम	ड21	
ड22	कैश-इन-हैंड	ड22	
ड23	ऋण और अग्रिम	ड23	
ड24	अन्य संपत्तियां	ड24	
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)	ड25	
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)			

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण				
	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)	चालान नं.	कर का संदाय
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
द1				
द2				
द3				
टिप्पण ► घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें				

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर एकत्र किए गए कर का विवरण [कलेक्टर(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ► कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें					

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण [नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]				
	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
घ1				
घ2				
घ3				
टिप्पण ► घ15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण : [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्रस्तुत किए गए प्ररूप 16ग या प्ररूप 16घ के अनुसार]									
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पेन/आधार संख्या	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	अदावाकृत टीडीएस अग्रणीत किया गया	वर्तमान वित्तीय वर्ष का टीडीएस	टीडीएस जमा, जिसका इस वर्ष दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित प्राप्ति की कर के लिए पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं)	पेशकश की गई तदनुसूची प्राप्ति/निकासी	टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			वित्तीय वर्ष, जिसमें कटौती की गई	अग्रणीत टीडीएस	कटौती किया गया टीडीएस	दावा किया गया टीडीएस	सकल रकम	आय का शीर्ष	

i									
ii									
टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 4 का योग दर्ज करें।									

### सत्यापन

<p>मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषण करता/करती हूँ कि मैं मेरी _____ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्राप डाउन प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक _____ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)</p>									
<p>स्थान:</p> <p>तारीख:</p>							<p>यहाँ हस्ताक्षर करें →</p>		
<p>यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:</p>									
टीआरपी पिन (10 अंक)					टीआरपी का नाम			टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर	
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम									